W/R

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

पुनर्विलोकन / एलआर / 9686 / 2008 / जिला हनुमानगढ़

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हनुमानगढ़ ।

.....प्रार्थी

बनाम

उजागरसिंह पुत्र हजारासिंह जाति जटसिख निवासी ग्राम थेडी गंगानी जिला हनुमानगढ।

.....अप्रार्थी

एकलपीठ

श्री मूलचन्द मीणा, सदस्य

उपस्थिति :

श्री अभिषेक कौशिक, उप राजकीय अभिभाषक प्रार्थी ।

श्री एस.पी.जांगिड, अभिभाषक अप्रार्थी ।

दिनांक : 25–11–2011

निर्णय

1– हस्तगत पुनर्विलोकन प्रार्थनापत्र राजस्व मण्डल अजमेर की एकलपीठ द्वारा अपील संख्या. 4084/04 (सरकार बनाम उजागरसिंह) में दिनांक 21–5–2008 को पारित निर्णय से व्यथित होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 86 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

2– पुनर्विलोकन प्रार्थनापत्र अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप इस प्रकार कि तहसीलदार हनुमानगढ़ ने एक प्रार्थना पत्र अतिरिक्त कलेक्टर हनुमानगढ को इस आशय का प्रस्तुत किया कि आवंटी हजारासिंह की चक 19 एच.एम.एच. के पत्थर नम्बर 122/279 के किला नम्बर 11 से 17 में 7 बीघा, व किला नम्बर 18 में 10 बिस्वा कुल 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि बिना कलेक्टर की अनुमति लिये अप्रार्थी को हस्तांतरित कर दी। न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर ने उभय पक्ष को सुनकर दिनांक 24–05–2000 को धारा 13–ए का उल्लंघन मानकर विवादित आराजी को रिज्यूम किये जाने के आदेश

पारित कर दिये। उक्त आदेश की प्रथम अपील न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ ने दिनांक 27–2–02 द्वारा स्वीकार कर अतिरिक्त कलेक्टर हनुमानगढ का आदेश दिनांक 24–05–2000 निरस्त कर दिया। राजस्व अपील प्राधिकारी, हनूमानगढ के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी–सरकार ने द्वितीय अपील राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की। द्वितीय अपील भी राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की एकलपीठ ने अपने निर्णय दिनांक 21–05–2008 द्वारा खारिज कर दी। उक्त आलोच्य निर्णय दिनांक 21–05–2008 से व्यथित होकर हस्तगत पुनर्विलोकन प्रार्थनापत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत किया गया है:–

(1) अप्रार्थी को विवादित भूमि हस्तांतरण के जरिये प्राप्त हुई है तथा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अनुसार किसी भी प्रकार के हस्तांतरण होने से संशोधित धारा 13–ए के तहत नियमन कराना आवश्यक था, जो नही कराया गया है। अतः धारा 13–ए का स्पष्ट उल्लंधन है।

(2) माननीय एकल पीठ द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया कि अप्रार्थी को भूमि जरिये तबादला फेमिली सेटलमेंट से प्राप्त हुई थी, जिस पर धारा 13 के प्रावधान स्पष्ट रूप से लागू होते है।

(3) माननीय एकल पीठ द्वारा इस बात पर गौर ही नहीं किया गया कि अप्रार्थी के पिता हजारासिंह द्वारा विवादित आराजी का बैचान बिना जिला कलेक्टर की अनुमति के अप्रार्थी के हक में किया गया है। वह धारा 13–ए राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के विपरीत होने से विवादित आराजी रिज्यूम करने के प्रावधान होने से अतिरिक्त कलेक्टर हनुमानगढ के आदेश द्वारा विवादित भूमि को रिज्यूम किया गया है।

उपरोक्त वर्णित आधारों पर पुनर्विलोकन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया है कि प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर मण्डल की

एकल पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21–05–2008 और राजस्व अपील प्राधिकारी हनूमानगढ के निर्णय दिनांक 27–02–2002 को निरस्त कर अतिरिक्त कलेक्टर, हनूमानगढ के निर्णय दिनांक 24–05–2000 को यथावत रखा जावे।

3– उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4– विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता द्वारा पुनर्विलोकन प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों व आधारों को दोहरते हुये तर्क किया है कि विवादित भूमि का हसतान्तरण अवैध हुआ है और अवैध हस्तान्तरण के नियमन का प्रावधान है। चूंकि नियमन नहीं कराया गया है अतः अतिरिक्त कलेक्टर, हनूमानगढ का निर्णय सही है। कानूनी प्रावधानों को अनदेखा करके पारित किया गया एकल पीठ का आलोच्य आदेश निरस्तनीय है।

5– जवाबी बहस में विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी का तर्क है कि माननीय एकल पीठ द्वारा पूर्ण विवेचना के बाद ही आलोच्य आदेश दिनांक 21–05–2008 पारित किया गया है। पुनर्विलोकन का दायरा अत्यन्त सीमित है और अभिलेख पर दृष्टव्य त्रुटि के आधार पर ही किसी निर्णय को पुनर्विलाकन किया जा सकता है। आलोच्य आदेश में ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जो पुनर्विलोकन की परिधि में आती हो। विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क है कि विवादित भूमि अप्रार्थी को विभाजन में मिली है और विभाजन हस्तान्तरण की परिभाषा में नहीं आता है।

6– हमने पत्रावली पर उपलब्ध निर्णय और रिकॉर्ड का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया और बहस उभयपक्ष पर मनन किया।

7— प्रकरण में यह निर्विवाद है कि उजागरसिंह प्रार्थी (निर्णीत अपील में प्रत्यर्थी) आवंटी हजारासिंह का पुत्र और नेसर्गिक वारिस है। आलोच्य निर्णय दिनांक 21—05—2008 पारित करते समय विद्वान एकल पीठ ने तथ्यों एवं उभयपक्ष की बहस की विवेचना उपरान्त निष्कर्ष अंकित किये हैं कि:—

"हमारे समक्ष प्रस्तुत अभिलेख पर इस तथ्य की पुष्टि करने हेतु कोई भी साक्ष्य नहीं है कि आवंटी की भूमि का हस्तान्तरण किसी बेचान नामे अथवा किसी तबादला नामे के आधार पर वर्तमान प्रत्यर्थी के पक्ष में किया गया हो। जब हस्तान्तरण का तथ्य सिद्ध नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 13—ए के प्रावधानों के उल्लंघन को सिद्ध मानते हुये भूमि को राज्य पक्ष में रिज्यूम किये जाने का कोई आधार नहीं रहता। यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि जिस तबादले नामे का जिक राज्य सरकार द्वारा किया गया है वह आवंटी हजारासिंह द्वारा निस्पादित ही नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी ने प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार करने में किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं की है। हमारी सुविचारित राय में विवादित भूमि के सम्बन्ध में धारा 13—ए उपनिवेशन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं मानते हुये राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपील स्वीकार करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है।"

इस निष्कर्ष के साथ एकल पीठ द्वारा राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुये तथा राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय को बहाल रखते हुये आलोच्य निर्णय दिनांक 21—05—2008 पारित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थनापत्र का मुख्य आधार यह था कि प्रत्यर्थी उजागरसिंह को विवादित भूमि आवंटी हजारासिंह से हस्तान्तरण द्वारा प्राप्त हुई है और विद्वान एकल पीठ द्वारा स्पष्ट कारण अंकित करते हुये निष्कर्षांकन किया गया है कि हस्तान्तरण सिद्ध नहीं है।

25/11

8— विधि की यह सुस्थापित स्थिति है कि पुनर्विलोकन का दायरा बहुत ही सीमित है। अगर तर्क के लिये यह मान भी लिया जावे कि एकल पीठ का यह निष्कर्ष गलत है तो गलत निष्कर्ष और गलत निर्णय को पुनर्विलाकन में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

9— राज्य सरकार द्वारा अपने पुनर्विलाकन प्रार्थनापत्र में पुनः उन्हीं तथ्यों व विधिक प्रावधानों को आधार बनाया गया है जिनको कि अपील में आधार बनाया गया था, जबकि एकल पीठ द्वारा निर्णय पारित करते समय उन सभी आधारों की विवेचना व उन पर निष्कर्षांकन किया गया हैं। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2005 (1) RRT 454 (SC) में प्रतिवादित किया गया है:—

> "A point that has been heard and decided cannot form a ground for review even if assuming that the view taken in the judgment under review is erroneous."

यह सम्भव है कि एकल पीठ द्वारा पारित निर्णय राज्य सरकार के अनुकूल नहीं रहा हो, किन्तु इसे पुनर्विलोकन का आधार नहीं बनाया जा सकता है। अगर राज्य सरकार उक्त निर्णय को सही नहीं मानती है तो उसके विरूद्ध उच्च स्तर पर अपील/रिट करने का विकल्प खुला है। पुनर्विलोकन का दायरा अत्यन्त सीमित होने के कारण यह अपील का विकल्प नहीं बन सकता है।

10— माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती मीरा भान्जा बनाम निर्मला कुमारी चौधरी (AIR 1995 SC page 455) में और उस पर आधारित न्यायिक दृष्टान्तों की एक लम्बी श्रृंखला में यह प्रतिपादित किया जा चुका है कि पुनर्विलोकन का प्रावधान अपील का स्थान नहीं ले सकता है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2005 RBJ (12) page 290 में भी यही अभिनिर्धारित किया गया है कि:—

"The scope of review is very limited. It has been clearly held in a catena of cases that a judgment order may be open to review under Order 47 Rule 1 CPC if there is a mistake or an error apparent on the face of the record. An error which is not self-evident and has to be detected by process of reasoning can hardly be said to be an error apparent on the face of record justifying exercise of power of review. In exercise of jurisdiction under Order 47 Rule 1 CPC, it is not permissible for an erroneous decision to be re-heard and corrected. There is clearly distinction between 'an erroneous decision' and 'an error apparent on the face of the record.' While the former can be corrected by higher forum, the latter can be corrected by exercise of review jurisdiction. A review petition has, therefore, a limited purpose and can not be allowed to be an appeal in disguise."

11— उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि कि गलत निर्णय (erroneous decision) और अभिलेख को देखने मात्र से दृष्टव्य त्रुटि (an error apparent on the face of the record) में अन्तर है। पुनर्विलोकन प्रार्थनापत्र में गलत निर्णय को सही नहीं किया जा सकता है अपितु मात्र अभिलेख को देखने मात्र से दृष्टव्य त्रुटि (an error apparent on the face of the record) को ही ठीक किया जा सकता है।

12— हस्तगत प्रकरण में विद्वांन एकल पीठ द्वारा विस्तृत विवेचन के बाद सकारण निर्णय पारित करते हुये राज्य सरकार की अपील को अस्वीकार किया गया है और अपीलाधीन आदेश की पुष्टि की गयी है। अतः आलोच्य निर्णय दिनांक 21—05—2008 त्रुटिवश पारित किया गया निर्णय नहीं है अपितु सकारण दिया गया निर्णय है और ऐसे सकारण निर्णय का पुनर्विलाकन किया जाना विधि की मंशा के विपरीत है।

25/11

13— उपरोक्त विवेचन के आधार पर इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि आलोच्य आदेश दिनांक 21–05–2008 में अभिलेख को देखने मात्र से दृष्टव्य प्रकृति की कोई त्रुटि (an error apparent on the face of the record) परिलक्षित नहीं होती है। अतः पुनर्विलोकन प्रार्थनापत्र को स्वीकार किये जाने का कोई आधार नहीं है।

14— निष्कर्षतः पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मूलचन्द मीणा)
सदस्य